जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 21-09-2021**

आज दिनांक 21.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

थाना महुली पुलिस द्वारा आप्रकृतिक दुष्कर्म में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डॉ कौस्तुभ** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री संतोष कुमार सिंह** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री राम प्रकाश** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महुली **श्री रणविजय सिंह** के गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 272 / 2021 धारा 377 / 506 भादवि व 5 / 6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रामचन्द्र गुप्ता पुत्र पारस निवासी वार्ड नं0 05 इन्दिरा नगर हरिहरपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 24 घंटे के अन्दर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 17.09.2021 को वादिनी के नाबालिग पुत्री को टाफी देने घर पर बुलाकर अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके संबन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 20.09.2021 को थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला एवं बाल अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना पर तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 21.09.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- प्रभारी चौकी हरिहरपुर उ0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह यादव, हे0कां0 अनिल सिंह, कां0 पवन यादव।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना घनघटा पुलिस द्वारा 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त नाम पता 1- रामवृक्ष पुत्र स्व0 विश्वनाथ निवासी मठिया मडपौना थाना धनघटा 2 अमरजीत पुत्र कैलाश निवासी गोरांग थाना धनघटा 3 – कुसुमलता पत्नी कोरी 4 – मीना पत्नी विक्रम निवासीगण मितवापुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 265 / 2021, 266 / 2021, 267 / 2021 व 268 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- प्रभारी चौकी बिड़हरघाट उ0नि0 श्री अरुण कुमार पाण्डेय, उ0नि0 महेश्वरी सिंह, हे0कां0 रामजतन प्रजापति, कां0 संजय सिंह

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा दबिश के दौरान 02 वारण्टी नाम पता 1- इन्द्रजीत पुत्र विद्याप्रकाश 2 – श्रीमती किसमती पत्नी विद्या प्रकाश निवासीगण भटवा विसौवा थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी विसौवा उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों में हो रहे विवाद / मारपीट को कराया गया शान्त – पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत महुही से इवेन्ट संख्या 0883393 से कालर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 03 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा को सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 हरिशंकर गौड़, आ0 जितेन्द्र चौधरी, हो0चा0 राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 114 वाहनो से 122000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 114 वाहनो से 122000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।